

**न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)**

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा- 46(1) बी के तहत

आर. एम. वाद संख्या-14/2023-24

दुर्गा मछुवा वगैरह बनाम् सुदेवी

तारीख	आदेश	
1	2	3

विक्रेता का नाम एवं पता- दुर्गा मछुवा वो महावीर मछुवा, दोनों पिता-स्व० नकुल मछुवा निवास ग्राम-गोसाईंडीह, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-SC(अनुसूचित जाति वर्ग) पेशा-खेती ।

क्रेता का नाम एवं पता:- सुदेवी देवी, पिता/पति- मृत्युंजय सेठ निवास ग्राम-हिन्दीडीह, पो०-तमाड़ थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-SC (अनुसूचित जाति वर्ग), पेशा-गृहिणी ।

विद्वान अधिवक्ता का नाम:- श्री गोवर्धन महतो ।

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26/04/2023 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत क्रेता सुदेवी देवी, पिता/पति- मृत्युंजय सेठ निवास ग्राम-हिन्दीडीह, पो०-तमाड़ थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-SC (अनुसूचित जाति वर्ग), पेशा-गृहिणी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री/दान/वसियत हेतु अनुमति माँगी है:-

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा-गोसाईंडीह, थाना-बुण्डू, थाना सं०-13 जिला-राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहद्दी
90	312	7.30 डीसमील	उ०-प्लॉट संख्या 312 का अंश द०- प्लॉट संख्या 312 का अंश पू०- प्लॉट संख्या 311 का अंश प०-10 फीट प्रस्तावित रास्ता

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी बुण्डू का पत्रांक-311 (ii) दिनांक 17/06/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी में सुखलाल घासी के नाम से दर्ज है।
2. आवेदक पंजी- II रैयत के पुत्र है।
3. पंजी- II के अनुसार रैयत का नाम सहदेव घासी वगैरह दर्ज है।
4. मालगुजारी रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है।
5. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का पूर्ण अंश है।
8. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा-184.70 डीसमील जमीन शेष रह जायगा।
9. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को पारिवारिक खर्च हेतु बिक्री कर रहे है।

R

04/07/2023

10. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
11. विक्रेता घासी एवं क्रेता धोबी जाति के सदस्य है एवं दोनों एक ही जिला-राँची के निवासी है।
12. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
13. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
14. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
15. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विक्रेता दुर्गा मछुवा वो महावीर मछुवा, दोनों पिता-स्व० नकुल मछुवा निवास ग्राम-गोसाईंडीह, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-SC (अनुसूचित जाति वर्ग) पेशा-खेती को क्रेता सुदेवी देवी, पिता/पति-मृत्युंजय सेठ निवास ग्राम-हिन्द्रीडीह, पो०-तमाड़ थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-SC (अनुसूचित जाति वर्ग), पेशा-गृहिणी के हाथों बिक्री/दान/वसियत करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 26/04/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है।

अतः अंचल अधिकारी बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन को विक्रेता दुर्गा मछुवा वो महावीर मछुवा, दोनों पिता-स्व० नकुल मछुवा निवास ग्राम-गोसाईंडीह, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-SC (अनुसूचित जाति वर्ग) पेशा-खेती को क्रेता सुदेवी देवी, पिता/पति- मृत्युंजय सेठ निवास ग्राम-हिन्द्रीडीह, पो०-तमाड़ थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-SC (अनुसूचित जाति वर्ग), पेशा-गृहिणी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री/दान/वसियत सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा-गोसाईंडीह, थाना-बुण्डू, थाना सं०-13 जिला-राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी
90	312	7.30 डीसमील	उ०-प्लॉट संख्या 312 का अंश द०- प्लॉट संख्या 312 का अंश पू०- प्लॉट संख्या 311 का अंश प०-10 फीट प्रस्तावित रास्ता

लेखापित एवं सशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
बुण्डू।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
बुण्डू (राँची)